TO BE PUBLISHED IN PART-IV EXTRAORDINARY DELHI GAZETTE
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF PROHIBITION AND DRUG ABUSE PREVENTION

No.F. 4(104)/DOP/Estt./RR/2012-13/-97-103 Dated the 9TH May, 2013

NOTIFICATION

F. 4(104)/DOP/Estt./RR/2012-13 :- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs(Department of Administrative Reforms), O.M. No. AB.14017/12/87-Esstt (RR) dated 18-3-1988, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Assistant Director (Counseling) and Assistant Director (Media) in "the Directorate of Prohibition and drug abuse prevention, in 'Government of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the U.P.S.C., namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Directorate of Prohibition and drug abuse prevention Government of National Capital Territory of Delhi, Assistant Director Counseling and media (GCS Group-A Gazetted Non-Ministerial Post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay : – The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications – No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living:

Or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax :– Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in the ‘Schedule’.

SCHEDULE

1. RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (COUNSELING) IN THE PAY SCALE OF PB-III Rs.15600-39100 Grade Pay -5400

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and Grade Pay / Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
ASSISTANT DIRECTOR (COUNSELING)	01(One) 2013* (subject to variation dependant on workload.)	General Central Service Group A Gazetted, Non-Ministerial	PB-III (Rs.15600-39100) Grade Pay - 5400	Not applicable
Age limit for Direct Recruitment	Educational & other qualifications For Direct Recruits (Asstt. Director Counseling)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion of by deputation absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods).
6	7	8	9	10
Not Exceeding 35 years (Relaxable for Govt. servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J	Essential qualifications a. Graduate from recognized University b. Post graduate degree in Psychology from a recognized University. c. 03(three) years experience in the field of preventive awareness/ counseling in detox center recognized by the Central/State Government or Central/State Government Departments providing such services.	NA	01 (One) year	By composite method Promotion / Deputation (ISTC) failing which by direct recruitment.

& K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshyadweep)	<u>Desirable</u> a. Post Graduate Diploma in Public Relations/mass communication/advertising from a recognized University. b. Experience of organizing five Counseling Camps with community agencies in health camps/ social events or otherwise Note:1 Qualifications are relax-able at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified . Note: 2 The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to the SCs or STs, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of Recruitment by Promotion / Deputation/ absorption, grades from which Promotion / Deputation / Absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Composite method (promotion /Deputation (ISTC) Officers from Central / State Govt. / UTs /Autonomous Bodies / PSUs/ Research Institution / Universities. i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department or ii) With 02 years service in the grade rendered after appointment thereto on	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Chief Secretary, Govt. of NCT OF Delhi. –Chairman. 2. Administrative Secretary of concerned Department – Member 3. Head of the Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the department – Member.	Consultation with UPSC is necessary on each occasion. .

regular basis in the scale of Rs.9300-34800 in PB-2 with GP Rs.4800/- in the parent cadre / department or iii) With 03 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs.9300-34800 in PB-2 with GP Rs.4600/- in the parent cadre / department or iv) With 08 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs.9300-34800 in PB-2 with GP Rs. 4200/- in the parent cadre / department and Possessing the educational qualifications and experience as prescribed in column no.7. The departmental Assistant Prohibition Propaganda Officer (Counseling) with 08 years regular service in PB-2 (Rs.9300-34800) GP Rs.4200/- shall also be considered along with the outsiders. In case he / she is selected for appointment to the post. The same shall be deemed to have been filled by promotion. Period of deputation / contract including period of deputation / contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.) (The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) / absorption shall		

be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.) (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note for the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006. The date from which the revised pay structure based on the 6th CPC Recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay on the recommendations of the Pay Commission. Note: For the purpose of appointment on deputation /Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (The date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade		

with a common grade pay / pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay / pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

2 .RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (MEDIA) IN THE PAY SCALE OF PB-III Rs.15600-39100 Grade Pay -5400

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and Grade Pay / Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
ASSISTANT DIRECTOR (MEDIA)	01(One) 2013* *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group A Gazetted, Non-Ministerial,	PB-III (Rs.15600-39100) Grade Pay-Rs. 5400	Not applicable
Age limit for Direct Recruits	Educational & other qualifications required for Direct Recruits (Asstt.Director Media)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment , whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / Absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not Exceeding 35 years (Relaxable for Govt. Servants	<u>Essential qualifications</u> a. Graduate from recognized	NA	01 (One) year	By composite

upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshyadweep)	University b. Post graduate diploma in Public Relations/mass communication/advertising from a recognized University. c. 03 (three) years experience in the field of preventive awareness in Central/State Government Departments providing such services or detox center recognized by the Central/State Government or media house of repute . Desirable a. Knowledge of Media designing b. Experience in preventive awareness i.e. media awareness, NGO coordination and treatment as per role model proposed by Ministry of Social Justice & Empowerment (GOI) for the general public as well as institutions of the department. Note:1 Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified .Note: 2 The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to the SCs / STs, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			method Promotion / Deputation (ISTC) failing which by direct recruitment.

In case of Recruitment by Promotion / Deputation/ absorption, grades from which Promotion / Deputation / Absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

11	12	13
composite method (Deputation (ISTC)/Promotion) Officers from Central / State Govt. / UTs /Autonomous Bodies / PSUs/ Research Institution / Universities. v) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department or vi) With 02 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs.9300-34800 in PB-2 with GP Rs.4800/- in the parent cadre / department or vii) With 03 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs.9300-34800 in PB-2 with GP Rs.4600/- in the parent cadre / department or viii) With 08 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs.9300-34800 in PB-2 with GP Rs. 4200/- in the parent cadre / department and Possessing the educational qualifications and experience as prescribed in column no.7. The departmental Assistant Prohibition Propaganda Officer (Media) with 08 years regular service in PB-2 (Rs.9300-34800) GP Rs.4200/- shall also be considered along with the outsiders. In case he / she is selected for appointment to the post. The same shall be deemed to have been filled by promotion. Period of deputation / contract including period of deputation / contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Chief Secretary, Govt. of NCT OF Delhi. – Chairman. 2. Administrative Secretary of concerned Department – Member 3. Head of the Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the department – Member.	Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

(The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) / absorption shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.) (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 / the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC Recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale on the recommendations of the Pay Commission. Note: For the purpose of appointment on deputation /Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (The date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay / pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay / pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

(RAJIV KALE)
Director (Prohibition)

No.F. 4(104)/DOP/Estt./RR/2012-13/-97-103 Dated the 9th May, 2013

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahn Road, New Delhi with reference to Sh. P.K. Roy, Under Secretary's letter NoF.No. 3/24/D(3)/2013-RR dated 21-01-2013.
2. Directorate of Prohibition and drug abuse prevention ,Government of National Capital Territory of Delhi,
3. Additional Secretary (Services), Services Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
4. Superintendent (Co-ordination Branch), General Administration Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi with the request to get published the Notification and Schedule in extraordinary Delhi Gazette, Part-IV, five copies of the Delhi Gazette may please be supplied to this Department.
5. Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi with request to get translated the English version of Notification and Schedule in Hindi so that the same may be published in the Delhi Gazette.
6. Law, Justice & L.A. Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
7. P.S. to Chief Secretary, Delhi, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.

RAJIV KALE
Director (Prohibition)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–चार में प्रकाशनार्थ)
''मद्य निषेध एवं मादक द्रव्य उन्मूलन निदेशालय'',
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1–केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

सं0फा0 04(104)/डीओपी/स्था0/आर0आर0/2012–13/ 97. 103 दिनांकः 09.05.2013

<u>अधिसूचना</u>

सं0फा0 04(104)/डीओपी/स्था0/आर0आर0/2012–13/ .– गृह मंत्रालय, भारत सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 18 मार्च, 1988 की कार्यालय ज्ञापन एबी 14017/12/87–स्था0 (आर0 आर0) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा ''मद्य निषेध एवं मादक द्रव्य उन्मूलन निदेशालय'', राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् **सहायक निदेशक (परामर्श) एवं सहायक निदेशक (मीडिया)** के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इन नियमों को ''मद्य निषेध एवं मादक द्रव्य उन्मूलन निदेशालय'', राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **सहायक निदेशक (परामर्श) एवं सहायक निदेशक (मीडिया) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय पद) के** भर्ती नियम, 2013 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादिः–** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता हैः

या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः–** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची–1</u>

वेतनमान पीबी–3 . 15600–39100/–रुपये ग्रेड पे– 5400/–रुपये में सहायक निदेशक (परामर्श) के पद के भर्ती नियम :–

1.	**पदनाम**	:	सहायक निदेशक (परामर्श)
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (एक) (2013)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	'क' वर्गीय, सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतनमान**	:	पै बैंड–III (15.600–39,100/– रुपये) ग्रेड पे 5400/–रुपये
5.	**क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) **नोट :–**आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ (सहायक निदेशक पराशर्म)**	:	**<u>अनिवार्य योग्यताएं</u>** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (ग) केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार विभागों द्वारा ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त डीटाक्स सैन्टर में रोकथाम जागरूकता/परामर्श के क्षेत्र में 03 (तीन) वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन संचार/विज्ञापन में स्नाताकोत्तर डिप्लोमा (ख) स्वास्थ्य कैम्पो/सामाजिक आयोजनों या अन्यथा में

			सामुदायिक एजेंसियों के साथ पाँच परामर्श कैम्पों के आयोजन का अनुभव। **टीप–1.** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप–2.** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	01 वर्ष (एक)
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	संयुक्त पद्धति द्वारा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**संयुक्त पद्धति (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारीः– (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 9300–34,800/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–2 में ग्रेड पे 4800/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित। (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 9300–34,800/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–2 में ग्रेड पे 4600/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित। (iv) मूल संवर्ग/विभाग में 9300–34,800/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–2 में ग्रेड पे 4200/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित तथा कॉलम संख्या 7 में यथानिर्धारित

			अनुभव रखने वाले। पे बैंड–2 (9300–34,800/–रुपये) ग्रेड पे 4200/–रुपये में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक मद्य निषेध प्रचार अधिकारी (परामर्श) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे। यदि वे पद पर नियुक्त के लिये चयनित होते है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 03 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीपः–** पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **टीपः–** प्रतिनियुक्ति/समावेश आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	''क'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) :– 1. मुख्य सचिव, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–अध्यक्ष

			2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव– सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह विभाग में पदेन सचिव न हो– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

पे बैंड–3 वेतनमान 15,600–39100/–रुपये ग्रेड पे– 5400/–रुपये में सहायक निदेशक (मीडिया) के पद के भर्ती नियम :–

1.	**पदनाम**	:	**सहायक निदेशक (मीडिया)**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (एक) (2013)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	'क' वर्गीय, सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतनमान**	:	पै बैंड–III (15.600–39,100/– रुपये) ग्रेड पे 5400/–रुपये
5.	**क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट :–**आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ (सहायक निदेशक पराशर्म)**	:	**<u>अनिवार्य योग्यताएं</u>** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन संचार/विज्ञापन में स्नाताकोत्तर डिप्लोमा (ग) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अथवा प्रतिष्ठित मीडिया हाउस द्वारा मान्यता प्राप्त डीटाक्स सैन्टर या केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों द्वारा ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने में रोकथाम जागरूकता के क्षेत्र में 03 (तीन) वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** (क) मीडिया अभिकल्पन का ज्ञान (ख) रोकथाम जागरूकता में अनुभव अर्थात् मीडिया जागरूकता, गैर सरकारी संगठन के साथ समन्वय तथा विभागों के संस्थानों के साथ–साथ आम जनता के लिये

			सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रोल मोडल के अनुसार प्रबंध । **टीप–1.** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप–2.** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	01 वर्ष (एक)
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	संयुक्त पद्धति द्वारा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**संयुक्त पद्धति (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारीः– (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 9300–34,800/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–2 में ग्रेड पे 4800/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित। (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 9300–34,800/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–2 में ग्रेड पे 4600/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित। (iv) मूल संवर्ग/विभाग में 9300–34,800/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–2 में ग्रेड पे 4200/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित तथा कॉलम संख्या 7 में यथानिर्धारित

			अनुभव रखने वाले। पे बैंड–2 (9300–34,800/–रुपये) ग्रेड पे 4200/–रुपये में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक मद्य निषेध प्रचार अधिकारी (मीडिया) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे। यदि वे पद पर नियुक्त के लिये चयनित होते है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 03 वर्ष होगी। (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होंगी।) भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीपः–** पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **टीपः–** प्रतिनियुक्ति/समावेश आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) :–** 1. मुख्य सचिव, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– अध्यक्ष

			2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव– सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह विभाग में पदेन सचिव न हो– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

(राजीव काले)
निदेशक (मद्य निषेध)

सं0फा0 04(104)/डीओपी/स्था0/आर0आर0/2012–13/ 97. 103 दिनांकः 09.05.2013
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, सघ लोक सेवा आयोग, धौल पुर हाउस, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली को श्री पी0के0 राय, अवर सचिव के दिनांक 21.01.2013 के पत्र संख्या 3/24/डी(3)/2013–आरआर के संदर्भ सहित।
2. निदेशक, मद्य निषेध एवं मादक द्रव्य उन्मूलन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. अतिरिक्त सचिव (सेवाएं), सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
4. अधीक्षक (समन्वय शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग–चार असाधारण में अधिसूचना तथा अनुसूची को प्रकाशनार्थ। कृपया इस विभाग को दिल्ली राजपत्र की पाँच प्रतियां भिजवाने के अनुरोध सहित।
5. हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को अधिसूचना एवं अनुसूची के अनुवाद उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित।
6. विधि,न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
7. नि0स0 मुख्य सचिव, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।

(राजीव काले)
निदेशक (मद्य निषेध)